राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय

परिवहन मार्ग, चौमू हाऊस, जयपुर 302001

कार्यालय दूरभाष : 0141–2374644 Email address : rsrtc.edt@gmail.com

क्रमांकः 3(28) मुख्या/याता/निरी/2024/2047 दिनांक : 21/11/2024

कार्यालय–आदेश

निगम में वर्तमान में बिना टिकिट यात्री प्रकरणों में लिप्त परिचालकों/चालकों (परिचालकों का कार्य करते हुए पकड़े जाने पर) के विरूद्ध कार्यवाही हेतु पूर्व में जारी कार्यालय आदेश क्रमांक एफ. 3(28) मुख्या/याता/निरी/2024/2028 दिनांक 17.10.2024 को अधिलंघित करते हुये निम्नानुसार आदेश जारी किये जाते है :–

1. वाहन निरीक्षण के दौरान 02 यात्री तक बिना टिकिट पाये जाने पर प्रकरण में परिचालक/चालक (परिचालक का कार्य करते हुए पकडे जाने पर) के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी कर प्रथम दृष्टया लिप्त पाये जाने पर अनुशासनिक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।
2. निरीक्षण के दौरान 2 यात्री से अधिक बिना टिकिट के प्रकरणों में लिप्त परिचालक/चालक (परिचालक का कार्य करते हुए पकडे जाने पर) एवं उडनदस्ता दल/निरीक्षक से अभद्रव्यवहार, राजकार्य में बाधा, निरीक्षकों को ईटीआईएम नहीं देना, ईटीआईएम छीन लेना, चालक/परिचालक के स्थान पर अन्य अनाधिकृत व्यक्ति (स्टेपनी) कार्य करते हुए पाये जाने आदि गम्भीर प्रकरणों में लिप्त परिचालकों/चालकों को संबंधित मुख्य प्रबंधक रूट ऑफ कर स्थाई आदेशों के तहत आरोप पत्र जारी कर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु प्रकरण संबंधित विभागाध्यक्ष को उसी दिवस प्रेषित करेंगे तथा विभागाध्यक्ष द्वारा आरोपी परिचालक/चालक (परिचालक का कार्य करते हुए पकडे जाने पर) को अविलम्ब निलम्बित कर मुख्यालय बदला जावेगा ताकि जांच कार्यवाही विपरित रूप से प्रभावित नहीं हो सके।
3. शेष प्रकरणों में सम्बन्धित कार्मिक के विरूद्ध स्थाई आदेशों के तहत् अनुशासनिक कार्यवाही/आरोप पत्र जारी कर अधिकतम 01 माह में जांच पूर्ण कर नियमानुसार निर्णय पारित किया जावेगा।

यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे।

(पुरुषोत्तम शर्मा)
प्रबन्ध निदेशक

क्रमांकः 3(28) मुख्या/याता/निरी/2024/2047 दिनांक : 21/11/2024

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष महोदया, रापनिगम, मुख्यालय जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रबंध निदेशक महोदय, रापनिगम, मुख्यालय जयपुर।
3. समस्त विभागाध्यक्ष .... रापनिगम, मुख्यालय जयपुर।
4. उप महाप्रबंधक (याता/प्रशा/वित्त/सांख्यिकी) रापनि, मु0 जयपुर।
5. कार्यकारी प्रबन्धक (याता–संस्था/चैकिंग) प्रशा अधि. (यांत्रिक) रापनि, मु0 जयपुर।
6. समस्त जोन प्रभारी, राजस्थान परिवहन निगम, ... जोन।
7. समस्त मुख्य प्रबन्धक, राजस्थान परिवहन निगम, ... आगार।
8. रक्षित पत्रावली।

(डॉ. ज्योति चौहान)
कार्यकारी निदेशक (यातायात)

Scanned with OKEN Scanner